

उत्तराखण्ड राज्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रयी मण्डल (एस0जी0पी0बी0) की दिनांक 17.02.2021 को आहुत बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड राज्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रयी मण्डल (एस0जी0पी0बी0) की बैठक दिनांक 17.02.2021 को डॉ0 जय गोपाल घोष, उपमहानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादून महोदय की अध्यक्षता में की गयी।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री भुपेन्द्र सिंह, निदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादून।
2. श्री एस0एल0 पैट्रिक, अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
3. श्री अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
4. श्री सुनील पंवार, संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
5. श्री दिनेश कुमार, उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
6. डॉ0 विनोद कुमार, अधीक्षण भूवैज्ञानिक (Superintending Geologist), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादून।
7. श्री भूपाल राम, रसायनज्ञ, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
8. श्री एस0 सकलानी, ए0एम0जी0, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो, देहरादून।

बैठक के प्रारम्भ में डॉ0 जय गोपाल घोष, उपमहानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादून एवं आमन्त्री सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् संयुक्त निदेशक, भूविज्ञान द्वारा विगत वर्ष सम्पन्न हुई एस0जी0पी0बी0 के ATR एवं वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित एजेण्डा बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 01:- जनपद देहरादून के तहसील विकासनगर के सुनेरखेड़ा क्षेत्रान्तर्गत चूना पत्थर से सम्बन्धित खनिज अन्वेषण क्षेत्रीय सत्र 1991-99 के मध्य किया गया था इस क्षेत्र में चूना पत्थर हेतु 4 ब्लॉकों का चिह्निकरण किया गया था:-

- | | |
|---------|--|
| ब्लॉक-1 | घेन्सूरखेड़ा ब्लॉक 1 – 0.32 वर्ग किमी0 |
| ब्लॉक-2 | घेन्सूरखेड़ा ब्लॉक 2 – 0.56 वर्ग किमी0 |
| ब्लॉक-3 | घेन्सूरखेड़ा ब्लॉक 3 – 0.91 वर्ग किमी0 |
| ब्लॉक-4 | घेन्सूरखेड़ा ब्लॉक 4 – 1.06 वर्ग किमी0 |

ब्लॉक संख्या 03 में 24 MT लाइमस्टोन का भण्डार आंकलित किया गया है तथा 5.31 MT उच्च श्रेणी का लाइमस्टोन भी आंकलित किया गया है।

अन्य तीन ब्लॉकों में सीमेण्ट ग्रेड लाइमस्टोन का अन्वेषण कार्य बाह्य स्रोत से किया जाना प्रस्तावित है।

लाइमस्टोन हेतु खनिज अन्वेषित ब्लॉक के अभिलेख भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसके आधार पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा यू0एन0एफ0सी0 वर्गीकरण के अनुसार लेवल का निर्धारण किया जायेगा। इस कार्य हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा एक भूवैज्ञानिक/कार्मिक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सहयोग हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। अन्य ब्लॉक में खनिज अन्वेषण हेतु बाह्य स्रोत से किसी Agency को नामित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

ऐजेण्डा बिन्दु संख्या 02:— जनपद देहरादून के ग्राम कालसी तहसील विकासनगर के मदारसू क्षेत्रान्तर्गत चूनापत्थर से सम्बन्धित खनिज अन्वेषण का कार्य वर्ष 1964-65 से 1969 तक किया गया था जिसमें कुल 66.59 MT का भण्डार का आंकलन किया गया है। यू0एन0एफ0सी0 वर्गीकरण के अनुसार उक्त भण्डार का लेवल का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

चूनापत्थर से सम्बन्धित खनिज अन्वेषित ब्लॉक के अभिलेख भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसके आधार पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा यू0एन0एफ0सी0 वर्गीकरण के अनुसार उक्त भण्डार का लेवल का निर्धारण किया जायेगा। इस कार्य हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा एक भूवैज्ञानिक/कार्मिक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सहयोग हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

ऐजेण्डा बिन्दु संख्या 03:— जनपद पिथौरागढ़ के तहसील गंगोलीहाट के ग्राम चौरा, काण्डा, धरौली, चौनाला, अगलगढधार व कालीपाताल के चूनापत्थर का खनिज अन्वेषण वर्ष 1967-68 से 1973-74 के मध्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ द्वारा किया गया था जिसमें 3189 मिलियन टन लाईमस्टोन का आंकलन किया गया था। उक्त भण्डार का यू0एन0एफ0सी0 के तहत लेवल का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अवगत कराया गया है कि विगत क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में लाइमस्टोन खनिज के वैण्ड विस्तारीकरण हेतु खनिज अन्वेषण कार्य संचालित किया गया था। उक्त क्षेत्र को G2 लेवल तक लाने हेतु मात्र 08 बोर होल किये जाने थे, पानी की उपलब्धता न होने के कारण ड्रिलिंग कार्य मात्र 02 बोर होल में सम्भव हो पाया। यदि उक्त क्षेत्र को यथास्थिति नीलामी हेतु प्रस्तावित किया जाता है तो सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा ही लाइमस्टोन के विस्तारीकरण हेतु और कुछ ड्रिलिंग बोर होल करवाये जा सकते हैं। उक्त क्षेत्र की नीलामी किये जाने की स्थिति में क्षेत्र के नवीनतम मानचित्र/आख्यायें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा संयुक्त रूप से उपलब्ध करवाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

ऐजेण्डा बिन्दु संख्या 04:— भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का भूगर्भीय सर्वेक्षण तथा आपदाग्रस्त ग्रामों के विस्थापन एवं पुनर्वास स्थलों का भूगर्भीय अन्वेषण कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ संयुक्त रूप से कतिपय आपदाग्रस्त ग्रामों का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है तथा जिनकी सूची उपलब्ध करा दी जायेगी।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों में आपदा से प्रभावित ग्रामों के भूगर्भीय सर्वेक्षण हेतु कार्य किया जा रहा है। इस विषयान्तर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में उक्त कार्य में तकनीकी सहयोग/क्षेत्रीय निरीक्षण की आवश्यकता हो तो तदसम्बन्धी ग्रामों की सूची भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को उपलब्ध करायी जायेगी।

ऐजेण्डा बिन्दु संख्या 05:— *राज्य के अन्तर्गत विकास सम्बन्धी विभिन्न निर्माण कार्य किये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रों का भूअभियांत्रिकी निरीक्षण किये जा रहें हैं। उक्त कार्य पूर्ववत् किया जायेगा।*

राज्य के अन्तर्गत विकास सम्बन्धी विभिन्न निर्माण कार्य किये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रों का भूअभियांत्रिकीय निरीक्षण किया जा रहे हैं, उक्त कार्य पूर्ववत् की भांति ही किया जायेगा।

ऐजेण्डा बिन्दु संख्या 06:— *अन्य विचारणीय बिन्दु।*

भारतीय खान ब्यूरो (आई0बी0एम0) देहरादून के उपस्थित सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ में धारापानी क्षेत्र में हिमालयन मैंगनासाइट लिमिटेड द्वारा 360 है0 क्षेत्र में मैंगनेसाइट खनिज हेतु कार्य किया जा रहा था जो कि उनके द्वारा 90 के दशक में छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त चण्डाक, दुंगा ग्राम में भी 513.89 है0 क्षेत्र में भी मैंगनेसाइट हेतु कार्य किया जा रहा था। उक्त क्षेत्र में मैंगनेसाइट के खनिज अन्वेषण विस्तारीकरण हेतु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कार्य किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।